प्रयास - एक दशक की पूर्तता....

टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था का प्रकल्प

९/१, बि.डी.डी चाल, वरली, मुंबई-४०० ०१८.

दुरध्वनी - ४९४७१५६ फॅक्स-द्वारा ४९६९४२०

सूची

	पृष्ठ क्र.
१) प्रयास - एक दशक की पूर्तता....	१
२) भूतपूर्व दस साल की सांख्यिकी	१५
३) प्रयास दल (PRAYAS TEAM)	२०
४) स्वीकृति (ACKNOWLEDGEMENTS)	२२

परिचय

१ फरवरी, सन २००० को हमने दस साल पूरे किये। इस दशक में हमने निरंतर कोशिश की है कि न्याय प्रणाली में सामाजिक कार्यकर्ता को भूमिका स्थापित हो। इस दौरान गुनाह या वेश्यावृत्ति में फांसे हुए व्यक्ति के पुनर्वसन को हमने समझने की कोशिश की है।

इसी दौरान हमारा दल एक कार्यकर्ता से २८ कार्यकर्ता, प्रशिक्षक और प्रशासकीय कर्मचारी का समूह बन चुका है। १९९० में हमने सिर्फ एक जेल में काम शुरू किया। अब हम दो और जेल, तीन शहरी पुलिस थाने, रेलवे पुलिस थाना, कोर्ट, महिला संरक्षण गृह, एवं विशेष बाल गृह में स्थित हैं। वरली में हमारा एक पुनर्वसन केन्द्र है जहाँ हम जेल या संस्था से छूटे व्यक्तियों के पुनर्वसन में मदद करते हैं। मुम्बई के बाहर भरूच-गुजरात, में भी हम एक पुलिस थाने और जेल में कार्यरत हैं।

इस क्षेत्र में विकास लाने के हमने कई तरीके अपनाए हैं जैसे कि शोध, प्रलेखन, व्यवस्था के साथ बातचीत, प्रशिक्षण, संबंधित संस्थाओं के साथ आदान-प्रदान, आदि। प्रयास मुम्बई से बाहर भी गया है पुणे, नासिक, गोवा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमालच प्रदेश, उड़ीसा, केरल, कर्नाटक, और दिल्ला। प्रयास की शुरूआत टाटा सामजिक विज्ञान संस्था के गुनाह शास्त्र एवं सुधार विभाग के छात्र और अद्यापकों के योग दान से हुई। छात्रों के पाँच साल की मेहनत के फलस्वरूप एक स्थाई प्रकल्प संभव हुआ। शुरूआत में डॉ. सनोबर शेखर, श्रीमती दीपा लक्ष्मण एंव मेरा एक दल बना। हमने कारागृह महानिदेशक, श्री. वर्मा को एक प्रस्ताव भेजा। कुछ ही दिनों में हमें इस प्रस्ताव की मंजूरी भी मिल गई। गुनाह शास्त्र विभाग के प्रमुख डॉ. डी. आर. सिंह और रीडर, श्री. के. डी. सिक्का के सहयोग से प्रकल्प की नींव रखी गई। इस नीव को इमारत का रूप देने में संस्था के निदेशक डॉ. (कुमारी) आरमाईटी एस. देसाई का बहुत बड़ा योगदान है। जब हम प्रयास की आर्थिक स्थिति से चिंतित थे, तब डॉ. देसाई ने हमे आश्वासन देकर कहा, ''काम अच्छा करो, पैसा स्वयं इकट्ठा हो जाएगा।''

मुझे इस बात की खुशी है कि मैं प्रयास के इन दस सालों का रिपोर्ट आपके सामने पेश कर रहा हूँ।

जेल में हुआ कार्य:

हमारा पहला काम था मुकदमा चले रहे कैदियो के हित के संभव क्षेत्रों को ढूंढ निकालना। छात्रों द्वारा किए गए काम के कारण हमारा काम आसान हो गया। और हमारा पहला मुद्दा था कानूनी मदद। बहुत ऐसे कैदी थे जो न्यायाधीश (जज) से अपनी कठिनाइयों के बारे में नहीं बता सकते थे, क्योंकि उन्हे न्याय व्यवस्था के बारे में ज्ञान नहीं था।

इस मुद्दे को सुलझाने के लिए हमने कैदियों के वास्ते जज को सीधे-सादे भाषा में अर्जी लिखवना शुरू किया। हम कैदियों का बयान एक कागज़ में लिखकर उन्हें ही पढ़कर सुनाते थे और उनके हस्ताक्षर या अंगूठे का छाप लेकर उन्हें दे देते थे। फिर हम उन्हें अगली सुनवाई के दिन इस पत्र का जज के सामने पेश करने का तरीका सिखाते थे। हमे यह देखकर खुशी हुशी हुई कि जज इन पत्रों के बयान के अनुसार कार्यवाही करने लगे। इससे हमें पहली सीख मिली कि न्यायालय की हर कार्यवाही के लिए वकील की जरूरत नहीं पड़ती। एक कैदी अपनी कठिनाइयों के बारे में जज से खुद बात कर सकता है, जैसे, जमानत की अपील, मुकदमे का आगे बढाना, व्यक्तिगत बोंड या परिवेक्षा पर छोडना, जेल में काटे समय को ही सज़ा मानकर छोड़ना, पुलिस थाना से व्यक्तिगत सामान वापस दिलवाना, आदि ।

दूसरी चीज़ जो हमने जाना - कि किसी भी केस चलाने के दौरान कानूनी मदद की जरूरत पड़ती है। इस काम के लिए हमने ऐसे वकीलों को ढूँढ निकाला जो थोड़े से पैसे लेकर हमारे केस के हित में काम करते थे। जब हमने काम शुरू किया, तो हम सिर्फ सौ रूपया प्रति केस ही दे पाते थे। आज मेट्रोपोलिटन कोर्ट मे हम लगभग हज़ार रुपये तक एक केस के लिए खर्च कर सकते है। आज मुम्बई में हमारी सूचि में चालीस से पैंतालीस वकील हैं।

काम शुरू करने के बाद हमने मुम्बई हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति कुर्डुकर और प्रमुख दंडाधिकारी श्री. वेलकर से अपने काम के बारे में बात की। हमे माननीय श्री. वेलकर द्वारा मुम्बई के मेट्रोपोन्टिन मेजिस्ट्रेटों के सामने अपने काम के बारे में बताने के लिए समय दिया गया। इस बातचीत के फलस्वरूप माननीय सी.एम्.एम्. ने सारे मेजिस्ट्रेट के नाम एक पत्र जारी किया, जिसमें प्रयास के कार्यकर्ताओं के द्वारा लाए गए केस के मनोवैज्ञानिक एंव सामाजिक तथ्यों की जांच करके उनकी मदद करने का निवेदन किया।

जुलाई सन १९९० में एक महिला कार्यकर्ता को जेल के महिला विभाग में काम करने के लिए नियुक्त किया गया। अब तक कानूनी मदद से पारिवारीक संपर्क, कैदियों के मूलभूत सुविधा के बारे में जेल अधिकारी से संपर्क मनोरंजन और सलाह का काम पूरे जोरों से शुरू हो गया था। प्रयास के शुरू होने के छह महीने बाद पहला जेल से छूठा कैदी हमसे मिलने और मदद माँगने आया ।

सितम्बर में हमने वरली के बी.डी.डी. चाल में अपना कार्यालय और संपर्क केन्द्र खोला। काम के डेढ़ साल के बाद पहला कार्यकर्ता (पैरा प्रोफेशनल) नियुक्त किया गया जो कैदियों के घर जाकर जानकारी जमा करता था। अब तक हमनें पुलिस आयुक्त, श्री रामामूर्ती से मुलाकात कर ली थी और छूटे कैदियों को सुधारने और पुनर्वसित करने की अनुमति भी ले ली थी।

हमारे पहले क्लाएंट श्री. इंगोले रविंद्र को हमारे एक प्रिय मित्र और प्रयास के मददगार,श्री. मधुराव ने अपनी

देवनार स्थित फैक्ट्री में नोकरी दी । पर उसकी पिछली जिन्दगी के कारण, जल्दी ही पुलिस ने उसे फिर से गिरफ्तार कर लिया। इससे हमे सीख मिली कि जुर्म को रोकने की नीति के लिए हमें पुलिस के साथ मिलकर युवा को सुधारने का काम करना होगा। हमने परिमंडल ५ के डी.सी.पी. श्री. हेमंत करकरे से मिलकर अपना काम उन्हें समझाया। उन्हें हमारी समस्या बहुत जल्दी समझ मे आ गई और उन्होंने हमें रवि को पुर्नवसित करने की कोशिश के बारे में एक पत्र देने को कहा। फिर उन्होंने परिमंडल से जुड़े सारे थानों में एक पत्र जारी करके पुलिस को हमारा सहयोग देने की विनती की।

पत्र में खास कर रवि की चर्चा थी, कि भविष्य में कभी भी उसके खिलाफ कार्यवाई करने से पहले, हमे पुलिस को उसके बारे में सफाई देने की इजाज़त मिले। इस तरीके का इख्तियार करने के कारण हमारी भी एक रीती शुरू हो गई, कि हर क्लाएंट के सुधार और पुनर्वसन के मामले को हम स्थानीय थाणे में पत्र के जरिए सूचित कर देते हैं।

हमें दुख है कि नियति की निश्चितता से विवश, दोनों मधु और रवि अब हमारे बीच नही है। पर उनके साथ जो काम हुआ और जो रिश्ते बने, इससे हमे प्रेरणा मिलती रहेगी।

इस तरह दो सालों के अंदर ही जेल में होने वाले काम और पुनर्वसन का एक ढांचा तैयार हो गया था। बाकी के सालों में हम इसी ढांचे को सक्षम बनाते आ रहे हैं।

थाणे में हस्ताक्षेप

हमारे काम के ज़रिए, एक मुद्दा जो हमारे सामने आया वो था पेशेवर अपराधी और गिरोह की मौजूदगी के कारण जेल में युवा और पहला जुर्म करने वालों का बहकना। हमने देखा कि सामाजिक कार्यकर्ता के रहने के कारण यह प्रभाव कम पड़ता था और इससे कुछ लोगों ने जुर्म की दुनिया छोड़ने का भी निश्चय किया।

इससे हमे यह एहसास हुआ कि अगर हम पुलिस थाना में ही, पहला जुर्म करने वाले अपराधियों तक पहुँच सकें तो ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ेगा। इसके लिए परिमंडल-४ की डी.सी.पी., श्रीमती मीरा बोरवनकर से हम लोगों ने माटुंगा पुलिस थाने में छात्रों को कार्य करने का इजाजत मांगी, जो हमे तत्काल मिल गई।

माटुंगा में एक साल बीतने के बाद परिमंडल-५ के डी.सी.पी. श्री. के. रामाचन्द्रन की इजाज़त से हमने देवनार पुलिस थाने में अपने छात्र रखे, क्योंकि वहाँ बहुत सी सम्प्रदायिक परेशानियाँ थी। इसके दो साल के बाद देवनार थाने में हमने दो महिला सामाजिक कार्यकर्ता को नियुक्त कर लिया । यहीं से मुम्बई के दंगों के दौरान हमारे छात्रों और कार्यकर्ताओं ने पुलिस और जनता के बीच एक अहम कड़ी बनने का काम किया। इन सामाजिक कार्यकर्ताओं को थाना के बाहर एक कुर्सी टेबल दिया गया था जहाँ से वो आने वाले लोगो को मदद और जानकारी देने का काम किया ।

पुलिस आयुक्त के आफिस से एक अफसर भी इनके साथ मुअफजा के फार्म, गुमशुदा लोगो को ढूंढने और मृत लोगो की खबर देने का काम कर रहा था। इन दस दिनों में हमारे द्वारा किए गए काम को पुलिस और जनता, दोनों ने सराहा। इससे पुलिस थाना में सामाजिक कार्यकर्ताओं की भूमिका भी प्रतिष्ठित हो गई।

इसके बाद चेंम्बर पुलिस थाना के उस समय के वरिष्ठ पुलिस निरिक्षक, श्री कुर्लेकर की विनती पर दो सामाजिक

कार्यकर्ताओं को स्थाई रूप से रखा गया । यहाँ पर बहुत से सामाजिक और आर्थिक केस थे जिनमें ज्यादातर औरतें शिकार थीं। जैसे माइके या ससुराल में दुर्व्यवहार, पारिवारिक मतभेद, स्त्रीधन, बलात्कार, दूसरे सम्प्रदाय में प्यार या शादी, घर से भागे लोग, बीयर बार में नाचने या काम करने वाली औरतें, इत्यादी । इसके अलावा सामाजिक कार्यकर्ता बच्चों के मामलों में, मनोवैज्ञानिक तौर से परेशान लोग, नशे से पीड़ीत और वयोवृध्द लोंगो के मामले में भी मदद करते हैं। परिमंडल-२ में वेश्यवृत्ति वाली औरतों और लड़कियों के बचाव और पुनर्वसन में सामाजिक कार्यकर्ता की जरूरत दर्शाने के लिए हमने काम शुरु किया। डी.सी.पी., श्री. परमवीर सिंह और डा. वेन्कटेशम की हमे बहुत सहायता मिली। हमारी कार्यकर्ता नागपाडा पुलिस थाणा में स्थित है और डी.बी.मार्ग एवं वी.पी.मार्ग पुलिस थाने भी बुलाने पर जाती है । वो बचाए गई लड़कियों को सम्प्रादयिक सेवाओं, सरकार की पुनर्वसन नीति, और बचाव और पुनर्वसन के कानून से अवगत करातीं हैं, ताकि वो सही संस्था में जा सके । वो वेश्यावृत्ति से निकाली औरतों की हौसला अफजाई भी करतीं हैं, और उन्हें उनके भविष्य के विकल्प के बारे में बतातीं हैं। बहुत समय से हमे पुलिस यह बता रही थी कि बहुत सारी एजेन्सियाँ, दोषी के हक के लिए काम कर रहीं हैं। पर पीडित लोगों के हित में कोई काम नहीं कर रहा, इसीलिए हमने परिमंडल-४ मे छह महीने पहले काम शुरू किया है। माहीम पुलिस थाने में दो कार्यकर्ता बैठते हैं, जो इसी मुद्दे पर काम कर रहें हैं।

घर से भागी लड़कियों और औरतों के अंजाम ने भी हमे परेशान किया है। चेम्बूर पुलिस स्टेशन में हमे इस तरह के केस मिलते रहते हैं कि एक बार लड़की घर से निकल जाती है तो उसके घरवाले और आस-पड़ोस के लोग उसका बहिष्कार कर देते हैं। उसे फिर अपनी जिंदगी की खुद देखभाल करनी पड़ती है और गलत लोग इस मौके का फायदा उठाते हैं।

हमने मुम्बई की रेलवे की हदों के आस पास रहने वाली औरतों के बारे में जांच की। हमने पाया कि इन औरतों से जबरजस्ती भीख मंगवाया, वेश्या का धंधा करवाया, या नशा करवाया और बिकवाया जाता है, जिससे वे कानून की नज़र में अपराधी बन जाती हैं । हमने विशेष रेलवे महानिरिक्षक श्री. एस. चक्रवर्ती से बात-चीत की। उन्होंने हमारी बहुत मदद की और मध्य रेलवे के अतिरिक्त जी. एम., श्री. एस. के. अग्रवाल और आयुक्त रेलवे पुलिस, श्री. एस. एम. मुशरिफ से हमारी मुलाकात करवा दी।

रेल पश्चिम के प्रमुख पी. आर. ओ., श्री. टंडन और मध्य रेल के प्रमुख पी. आर. ओ. श्री. माखाह का भी हमे बहुत सहयोग मिला। हमने दो सामाजिक कार्यकर्ताओं को (मुम्बई रेल पुलिस आयुक्त की अनुमति से), सी.एस्.टी. रेलवे पुलिस थाने में नियुक्त किया है। उन्हें ये अधिकार मिला है कि पीडित या अपराधी औरतों को पुनर्वसित करने के लक्ष्य से केस में हस्तक्षेप कर सकते हैं।

कोर्ट मे सामाजिक कार्य

पुलिस थानों मे हमारे कार्यकर्ताओं का काम शुरू होने के एक साल बाद हमने अपराधी कोर्ट में बैठने की बात सोची। पहले जैसे, शुरूआत में छात्र सामाजिक कार्यकर्त्ताओं का रखा गया (जहाँ सी.एम.एस. बैठते हैं) १९९४ में कोर्ट में बैठने वाला कार्यकर्त्ता नियुक्त किया गया।

इस कार्यकर्त्ता का काम था लोगों को कोर्ट के भिन्न जगहों का रास्ता बताना, कानूनी मदद, सम्प्रदायिक एजेन्सियों का पता बताना और मेजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए केस की रिपोर्ट तैयार करना। वो मुम्बई जिला और उपनगरीय कानूनी सेवा अधिकार के कर्मचारी से भी कानूनी मदद के लिए संपर्क रखता है।

पारिवारिक सहायता दल

महिला कैदियों के साथ काम करने से उनके बच्चों की देखभाल का मुद्दा भी हमारे सामने आया। महिला कैदियों को पांच साल से छोटे अपने बच्चों को जेल में अपने साथ रखने की अनुमति है। टिस के एक प्रकल्प के तहत वाडिया अस्पताल से जुड़े बाल मार्गदर्शक केन्द्र की मदद से, हमने जेल में इन बच्चों के लिए बालवाड़ी शुरू की। बाद में यह बालवाड़ी प्रयास का एक अंग बन गया। हमने बालवाड़ी पांच साल तक चलाया। कुछ समय पहले हमने सरकार को प्रस्ताव दिया कि यह बालवाडी उनके द्वारा चलाई जाए क्योंकि इसका ताल्लुक जेल के मूल सेवाओं से है। फिलहाल हमारे पास नियमित रूप से बालवाड़ी के बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक नही है। पर महिला अपराधी के जेल के बाहर बसे बच्चों के साथ काम करने वाली कार्यकर्ता हप्ते में दो दिन अन्दर के बच्चों के साथ भी समय बिताती है।

काम शुरू होने के एक दो सालों के बाद महिला अपराधी के बच्चों को मदद देने की जरूरत का हमें एहसास हुआ। इस काम के लिए कार्यकर्ता को नियुक्त किया गया। बाहर रहने वाले बच्चों को बहुत सी चीजों की जरूरत हो सकती है - नैतिक सहारा, कानूनी मदद, पढ़ाई का खर्चा, पैसो की जरूरत, जेल के अन्दर कैद माँ-बाप से संपर्क, स्कूल की जरूरत, इत्यादि।

हमारा कार्यकर्त्ता पूरी जांच करने के बाद ही मदद करता है। इन बच्चों की असुरक्षितता/नाजुकता कल्याणकारी संस्था या सम्प्रदाय नहीं माप पाती हैं। हमारी कोशिश रही है कि शोध, प्रलेखन एवं जानकारी फैलाना और अधिकारियों से बातचीत के जरिए इस मुद्दे को लोगों तक पहुँचाना।

पारिवारीक सहायता दल की कार्यकर्त्ता प्रयास के किसी और दल, स्वयंसेवी संस्था या आम जनता द्वारा दिए गए केस में भी मदद करती है।

महिला संरक्षण गृह और विशेष बालगृह (वेश्यावृत्ति से छुड़ाए गए)

१९९४ में, हमने वेश्यावृत्ति में फंसी औरतों और लड़कियों के पुनर्वसन की दिशा में काम करने का निश्चय किया। चेम्बूर के सरकारी संरक्षण गृह में टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था के छात्रों का प्रशिक्षण पहले ही चल रहा था। महिला बाल कल्याण विभाग की निर्देशक श्रीमती वंदना खुल्लर की अनुमति से हमने काम शुरू कर दिया। हमने एक महिला कार्यकर्त्ता को वहाँ रखा जो वहाँ के स्थित के महिलाओं के पुनर्वसन में हाथ बंटा सके।

शुरूआत में संस्था के प्राधिकारियों से, वेश्यावृत्ति से छुड़ाई औरतों के पुर्नवसन के मुद्दे पर काफ़ी चर्चा हुई। परिवेक्षक अधिकारी कोई नहीं था और अधीक्षक को केस की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई थी। शिक्षक को भी केस फाईल बनाने का काम करना पड़ता था। कुछ मुद्दे जैसे औरत को उसके परिवार के पास ले जाना, उनके सामान को वेश्यालय से छुड़ाना,

उनके बच्चों या रिश्तेदार को छुड़ाना, इन सब कामों के लिए पुलिस और संस्था के कर्मचारियों के बीच कोई तालमेल नहीं था। फिर हमने हर एक केस की जांच करके पता करना शुरू किया कि मामला अटकता किधर है और उसका हल क्या है। समस्या समझाने के बाद हमने महिला एंव बाल कल्याण विभाग के उच्च अधिकारी और पुलिस के सम्मुख इसे पेश किया।

कारणवश एक परिवेक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया, एक मेडिकल युनिट शुरू हुआ और शिक्षक को प्रशासकीय जिम्मेदारियों से मुक्त करके सहवासियों को पढ़ाने पर ध्यान देने के लिए कहा गया। पुलिस के साथ हुई मीटिंग की वजह से पुलिस आयुक्तालय, मुंबई के कार्यालय से एक परिपत्र सारे पुलिस थानों में भेजा गया, जिससे समय पर पुलिस अनुरक्षक, वेश्यालय से सामान और रिश्तेदार छुड़ाने का कार्य आसान हो गया । इस काम में हमे सचिव एंव निदेशक महिला बाल कल्याण श्रीमती आना दानी और श्रीमती श्यामला शुक्ला की बहुत मदद मिली। पुलिस द्वारा ज़ारी किया गया परिपत्र भी अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, गुनाह शाखा, श्री. एस. चक्रवर्ती की मदद से संभव हुआ।

हमने महिला संरक्षण गृह और देवनार स्थित विशेष बाल गृह में सिलाई और हस्तकला के शिक्षक भी नियुक्त किए। ये शिक्षक उन्हें सिलाई, कढ़ाई, पेंटिंग, बालों की बनावट, कागज के बैग बनाने जैसे कार्य सिखवाते है। एस.एंन. डी. टी. विश्वविद्यालय, प्रोजक्ट मेन्सट्रीम, म.आ.वि.म. और श्रमिक विद्यापीठ जैसे संस्थाओं के सौजन्य से व्यवसायिक शिक्षण भी समय-समय पर करवातें है।

हम संस्थानों और लोगों का एक दल उन राज्यों में बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ से यह लड़कियाँ और औरतें आती हैं। इन दलों के होने से सहप्रवासी का हौसला बढ़ता है कि उनके घर के आसपास भी आपत्ति में मदद के लिए कोई हैं। कुछ औरतों को हमने सीधा इन संस्थाओं में पुनर्वसन के लिए भेज दिया है। पर हमें इस क्षेत्र में अभी और काम करना बाकी है।

प्रशिक्षण और नौकरी के लिए कार्यशिबिर

शुरूआत में अपने क्लाएंट के लिए रोजगार/नौकरी ढूँढना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। हम बहुत कठिनाई से उनके लिए नौकरी ढूंढ रहे थे और वो बहुत जल्दी नौकरी छोड़ देते थे। मालिक अगर उनपर चिल्लाए, या झगड़ा हो जाए या चोरी का इल्जाम लगाए, या सिर्फ उन्हें नौकरी पसंद न आए तो वे नौकरी छोड़ देते थे।

हमें एहसास हुआ कि हमारे क्लाएंट में बहुत कम हुनर होता था। उन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आता था और आत्मविश्वास भी बहुत कम होता था। इसीलिए जरूरत ये थी कि हम उन्हें एसे माहौल में काम सिखवायें जिससे उन्हे बढ़ावा मिले। उन्हे ऐसी आश्रित जगह चाहिए थी जहाँ वो इन सारी परेशानियों को समझ कर सुलझा सकें। ऐसे वक्त में जेल में कला की कक्षा लेने वाले हमारे एक स्वयंसेवक ने छूटे कैदियों और दूसरे क्लाएंट के लिए कार्यशिबिर शुरू करने का बीड़ा उठाया। वो कपड़ों से स्टेशनरी का सामान बनाना सिखवाने लगा क्योंकि वो इस काम में माहिर था।

प्रयास में काम करने वाले एक कार्यकर्ता के रिश्तेदार ने हमें एक सिलाई मशीन दान किया और प्रयास प्रशिक्षण एंव रोजगार केन्द्र शुरू हो गया। यह तय किया गया कि दिन में आठ घंटे काम करने वालों को २० रूपए का मुआवज़ा दिया

जाएगा। पहले महीने में ही तीन क्लाएंट ने काम शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद बी.डी.डी. चाल में स्थित एक शेड में हमने कार्यशाला को शुरू किया।

इस कार्यशिबिर में अब जेल से, पुलिस थाने से, औरतों और युवा संस्थाओं से काम लेने के लिए लोग आते हैं। यहाँ छह महीने के लिए सिलाई और स्टेशनरी सामान बनाना सिखाया जाता हैं। हमारे कार्यकर्ता क्लाएंट की अन्त:शक्ति को (उनसे बात करके और उनके काम को देखकर) पहचानने की कोशिश करते हैं। क्लाएंट की भूमिका और विलचस्पी को देखते हुए उसके प्रशिक्षण के लिए एक रूपरेखा तैयार की जाती है।

हमारे बहुत से क्लाएंट को गाड़ी चलाना, गाड़ी बनाना, ए.सी. बनाना, बिजली का काम करना, पेंटिंग करना, बाल सँवारने का काम इत्यादि सिखाया गया है। इसे सीखने के दौरान उन्हे ४० रूपए प्रति दिन का मुआवज़ा मिलता है। लेकिन काम सीखने कें बाद प्रयास इन्हे नौकरी दिलाने का उत्तरदायित्व नही होता है। उन्हें स्वयं अपने लिए नौकरी ढूंढनी पड़ती है।

पुर्वसन पुनर्वसन

हमारा पुनर्वसन दल काम का सबसे अहम हिस्सा है। जेल, पुलिस थाने, कोर्ट और विशेष महिला एंव बाल गृह, से आए क्लाएंट के बारे में, आम जनता जानना चाहती है कि हम उन्हे कैसे पुनर्वसित करते हैं ? जेल, पुलिस थाने, कोर्ट, पुराने क्लाएंट, सम्प्रदाय के सदस्य, और निराधार बच्चे और अपराधी युवा संस्थाओं से पुनर्वसन के लिए लोग हमारे पास भेजे जाते हैं।

हम उन्हे सलाह, व्यवसायिक प्रशिक्षण, आपातकालीन सहायता, आरोग्य सेवा, साम्प्रदायिक एजेंन्सियों की जानकारी और पुलिस द्वारा (शक के बिना पर) कार्यवाही न होने मे मदद करते हैं। लेकिन हमारे पास आनेवाला हर व्यक्ति का पुनर्वसन हो जाता है या नहीं, यह हमारे लिए कहना बहुत मुश्किल है? पहले तो यह स्वयं उस व्यक्ति के उपर है कि वो सुधारना चाहता है या नहीं। दूसरा, उसके परिवारवाले और उसके सम्प्रदाय वाले कैसा व्यवहार करते हैं। तीसरा, पुलिस उसके बारे में क्या सोचती है। और अंत: में, उसकी पिछली जिंदगी में वो जुर्म या वेश्यावृत्ति कितना अंदर जा चुका था, कि पुराने साथियों का असर उसपर न पड़े? अहम् सवाल यह भी है कि हम उसकी जिन्दगी पर कितना प्रभाव डाल पा रहे हैं। हमें लगता है कि सामाजिक मदद मिलने से मानसिक रूप से अच्छा असर पड़ता है। समाज का एक जिम्मेदार वर्ग, सामाजिक कार्यकर्ता, उसकी हौसला अफजाही करें तो न सिर्फ उसके मन को, बल्कि समाज के दूसरे वर्ग और पुलिस, दोंनों के सोच पर फर्क पड़ता है।

पैसों की मदद, कानूनी मदद, प्रशिक्षण, पारिवारिक सलाह और पुलिस के साथ काम करने जैसे ठोस से उसे जुर्म की दुनिया से बाहर निकलने का सहारा मिलता है और उसके सुधरने की उम्मीद बढ़ जाती हैं? जेल या पुनर्वसन कार्यकर्ता से बने रिश्ते के कारण भी उसपर अच्छा नैतिक प्रभाव पड़ता है। लेकिन इन सब के बावजूद ऐसा भी होता है कि कभी-कभी व्यक्ति अपने पुराने व्यवसाय में फिर से चला जाता है। और हम लोग भी इससे विचलित हो उठते हैं। लेकिन निरंतर बातचीत, सलाह मश्वरा, केस की लेखन से हम इस का भी हल ढूँढने की कोशिश में जुटे हुए हैं।

मुम्बई के बाहर का कार्य

१९९६ में हमारी एक पुरानी सह-कार्यकर्ता मरूच (गुजरात) में बस गईं। उसनें हमें वहाँ भी यही काम शुरू करने की सलाह दीं। वह एक अनुभवी कार्यकर्ता थीं और उसनें ही मुंबई में पुलिस थाने में कार्य शुरू किया था। हमें भी लगा कि इस तरह हम एक नई जगह को समझ पाएंगे। हम जानना चाहते थे कि छोटी जगहों पर भी सामाजिक कार्यकर्ता की न्याय प्रणाली में आवश्यक हैं या नहीं। इस योजना के तहत जिला पुलिस अधीक्षक श्री. संजय श्रीवास्तव की अनुमति से मरूच के एक पुलिस थाने में हमारा काम शुरू हुआ। कुछ सालों में ही हमारी कार्यकर्ता ने, न सिर्फ पुलिस थाने में सामाजिक कार्यकर्ता की जरूरत को साबित किया, है, बल्कि उसने अधीक्षक श्री. सी. के. पटेल और अतिरिक्त महा संचालक, कारागृह की अनुमति से मरूच उप-जेल में भी कार्य शुरू कर दिया है। उसे महिला स्वीकार केन्द्र से भी सलाह के लिए नियमित रूप से बुलाया जाता है। डी.एस.पी. ने उससे निवेदन किया है कि वो उनके कार्यालय से जुड़े एक महिला कक्ष भी शुरू करने में मदद करे। उसके बढ़ते हुए काम को देखकर इस साल एक पुरूष कार्यकर्ता को उसकी मदद के लिए जेल में नियुक्त किया गया है।

पिछले वर्ष, व्यक्तिगत कारणों हेतु प्रयास की एक और कार्यकर्ता सोलापुर में बस गई है। फिलहाल वो संस्थागतित लड़कियों के पुनर्वसन पर शोध कार्य के अंतिम चरण पर है, जो उसने मुम्बई में ही शुरू किया था। हमारी योजना है कि उसके इस काम के समाप्त होने पर हम जुर्म, वेश्यावृत्ति या अभाव से पिड़ित शोलापुर की महिलाओं के पुनर्वसन पर कार्य शुरू करेंगे।

प्रयास अपने अनुभवी और विश्वसनीय कार्यकर्ताओं को कहीं भी बाहर जाकर इन प्रकल्पों को शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करता रहेगा। वो इस तरह काम निभानें में मदद करेंगे। लेकिन इसके लिए यह आवश्यक होगा कि वह एक निर्धारित समय में आर्थिक और प्रशासनिक रूप से प्रयास से अलग हो जाएँ।

शोध्य और प्रलेखन

हमें एहसास है कि हमारे कार्यक्षेत्र के स्वरूप के कारण हमारे पास अपराध विज्ञान और सुधार की बहुमूल्य जानकारी हैं। यह जानकारी क्लाएंट और व्यवस्था के साथ काम करने से बढ़ती जाती है । हम इनकों व्यवस्थित रुप मे प्रलेखित कर लेते हैं। एक नियमित रूप से वार्षिक रिपोर्ट तैयार करते हैं जिसमें इसका उल्लेख होता है और मुद्दों की विधी भी होती हैं। हमारे खुद के कर्मचारी इन मुद्दे एवं परेशानियों का प्रलेखन तैयार करते हैं जो हम सरकार को अवगत कराने के लिए, महिला बाल कल्याण, जेल; पुलिस और विधी एंव न्याय विभागों में जमा करते हैं।

हमने और भी ज़रूरी मुद्दों पर शोध किया है जैसे कैदी के बच्चे, औरत या लड़की को वैश्यावृति से बचाना एवं उनका पुनर्वसन, कानूनी मदद, इत्यादी। कैदियों के बच्चों पर किया शोध दिल्ली के तिहार जेल और मुम्बई से मिले आँकड़ो पर आधारित हैं। वेश्यावृत्ति पर किया गया शोध देश के आठ राज्यों से ली गई जानकारी पर आधारित किए गए हैं। इन पर तैयार किए रिपोर्ट इस साल के अंत तक प्रकाशित होगी। इससे लोग इस स्थिति से अवगत होंगे और उन मुद्दों पर प्रकाश डाला जाएगा, जिन्हें नज़रअंदाज़ किया गया हैं।

नीति के स्तर पर कार्य

सन १९९० में काम शुरू करते वक्त हमारा उद्देश्य था न्याय प्रणाली, से पीड़ित असुरक्षित कमज़ोर लोगों तक पहुँचना और पुनर्वसन की प्रक्रिया को हकीकत में बदलना। इस काम के दौरान हमें यह एहसास हुआ कि नीति के स्तर पर और प्रणाली के कुछ मुद्दों पर भी काम करना होगा। एक मुद्दा था कैदी पर कानून लागू करने के तरीके और व्यवस्था के नियमों में कमियाँ। इन कमियों का कारण था पुराने कानून, काम का दबाव, व्यवस्था मे आर्थिक कमी और निचले स्तर से आनेवाली सूचना उपरी स्तर को न मिलना।

दूसरा मुद्दा था जुर्म और वेश्यावृत्ति से पीड़ित लोगों के पुनर्वसन की जिम्मेदारी का। हमने देखा कि सरकार का कोई भी विभाग इस मुद्दे पर ध्यान नही दे रहा था। न ही समाज इसे अपना काम समझता था। कारणवश इनके सुधार के लिए कोई नीति नही थी। वैसे भी देशभर में इस क्षेत्र में बहुत कम लोग और स्वयंसेवी संस्था काम करते हैं। काम शुरू करने पर हमने पाया कि हमारे उठाए गए मुद्दे सरकार और समाज दोनों की सूची में नहीं थे। फलस्वरूप इस मुद्दे पर काम करने के लिए हमें एक नीति बनानी पड़ी। और कानून और व्यवस्था को लागू करने के लिए हमने एक कानूनी मदद दल तैयार किया और राज्य के कानून मदद व्यवस्था को इस कमी की ओर मुख़ातिब किया। कुछ मामलों के लिए हमने विभागीय अधिकारियों से बातचीत की जैसे कैदी को कोर्ट या अस्पताल ले जाने के लिए पुलिस अनुरक्षक की कमी के बारे में समय-समय पर स्थानीय पुलिस थाने के अधिकारी से बात करना।

इसी तरह परिवेक्षा अधिनियम को लागू करने की कमी के बारे में हमने सीधा मुख्य दंडाधिकारी और जिला परिवेक्षा अधिकारी से बात की। इन तरीकों से थोड़े समय के लिए हालात में सुधार जरूर आ जाता था लेकीन बाद में सब पहले जैसा हो जाता था। जुर्म और वेश्यावृत्ति से पीड़ित लोगों के पुनर्वसन की नीति अपनाने से पहले जरूरी यह था कि हम उन्हें जनता और सरकार की आंखों के सामने लाएँ। यह करने के लिए हमें यह दिखाने की जरूरत थी कि पुनर्वसन एक रोक थाम नीति भी हो सकती थी। लेकिन पहले यह साबित करना था कि पुनर्वसन अपराधी और वेश्याओं में संभव था। इसके लिए यह भी जरूरी था कि हम व्यवस्था को पेशेवर और असुरक्षित/पीड़ित लोगों में फर्क दिखा सकें। और न्याय प्रणाली से निकाल कर उन्हें समाज में उनका स्थान दिला सकें। १९९२ में हमने प्रशासन की नज़र में यह मुद्दा लाने का प्रयास किया। उस समय महाराष्ट्र के गृहराज्य मंत्री श्री. बबनराव पाचपूते से हमने मुलाकात की और जुर्म कानून के सुधार और छूटे कैदी के पुनर्वसन के मुद्दे के बारे में अंतरविभागीय मीटिंग बुलाने की जरूरत को समझाया। माननीय मंत्री महोदय इस मिटिंग के अध्यक्ष थे और न्यायमूर्ति धर्माधिकारी ने सबको सम्बोधित किया। पुलिस, जेल, सामाजिक कल्याण, महिला बाल कल्याण, परिवेक्षा, विधि एंव न्याय, शिक्षा एंव स्वास्थ विभाग, और स्वयं सेवी संस्थाएँ एंव हमारे काम से जुड़े लोग मीटिंग में मौजूद थे। १९९४ में मुम्बई हाई कोर्ट के सुओ. मोटो. रिट पेटिशन के कारण कैदियों के साथ हमारे काम को बहुत मदद मिली। इस पेटिशन में प्रयास को एक प्रतिवादी बनाया गया और कोर्ट ने हमसे न्याय प्रणाली को सुधारने का सुझाव मांगा। पेटिशन के ज़रिए हमने इन पाँच मुद्दों को पेश किया -

१. कैदियों के लिए पुलिस अनुरक्षक की नामौजूदगी। (कोर्ट या अस्पताल ले जाने के लिए)

२. कैदियों को जज/मेजिस्ट्रेट से सीधा बात करने की असमर्थता।

३. राज्य कानूनी मदद बोर्ड का अप्रभावी काम करने का ढंग।

४. परिवेक्षा व्यवस्था की कमियाँ

५. न्यायाधीश द्वारा व्यक्तिगत बॉन्ड पर छोड़ने में झिझक।

एक सुझाव जो हमने इस पेटिशन के ज़रिये दिया वो ये था कि राजकीय स्तर पर अंतर विभागीय समिति बनाई जाए जो न्याय प्रणाली की परेशानियों को सुलझा सके। इस समिति में विधि एंव न्याय विभाग, जेल, पुलिस, महिला बाल कल्याण और स्वास्थ विभाग को शामिल करने का आग्रह किया। कोर्ट ने इसे मंजूर करके अपने आदेश में शामिल कर लिया। इस समिति ने हमें जुर्म और कानून व्यवस्था के मुद्दों को सबसे उपरी स्तर पर सरकार के सामने लाने का मंच दिया । अभी तक चार मीटिंग हो चुकी हैं जहाँ व्यवस्था की नाकामयाबी, जुर्म रोकने और पुनर्वसन जैसे अहम मुद्दों पर बातचीत हुई है और उनके उपर निर्णय लिए गए कि हम इस समिति को चालू रखना चाहते हैं क्योंकि यह बहुत महत्त्वपूर्ण है। एक मीटिंग में बहुत महत्त्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि लॉ कॉलेज के छात्र जेल में जाकर कैदियों के लिए कानूनी मार्ग दर्शन का काम कर सकते हैं। इस निर्णय से प्रभावित होकर प्रयास ने गर्व्हमेंट लॉ कॉलेज से अपने छात्रों को मुम्बई मध्यवर्ती जेल में कानूनी मार्ग दर्शन कार्य के लिए संपर्क किया। हमें खुशी है कि कॉलेज और जेल विभाग के सहयोग से, यह प्रकल्प चल पड़ा। हफ्ते में दो दिन छात्र आकर कैदियों के लिए जज या मेजिस्ट्रेट के नाम आवेदन पत्र लिख देते हैं।

इस मिटिंग का एक और निष्कर्ष था कैदी, जेल से छूटे कैदी और उनपर आश्रित परिवार के सदस्यों के साथ काम करने वाली संस्थाओं को मिलने वाले अनुदान में बढोत्तरी। गृह विभाग द्वारा १९७७ में निकाले सरकारी पत्रक को हमने ढूँढकर समिति के सामने पेश किया । समिति ने इस योजना का निरीक्षण करके इससे मिलने वाले कार्यक्षेत्र/उद्देश्य और आर्थिक सहायता में वृद्धि कर दी। समिति मीटिंग में कानूनी मदद बोर्ड के हालात पर बातचीत करने से सरकार को उसके कार्य को सुधारने का एहसास हुआ। हाल में महाराष्ट्र कानूनी सेवा अधिकार अधिनियम (राष्ट्रीय कानूनी सेवा अधिनियम के तहत) नामक अधिनियम लागू हुआ जिसके तहत कानूनी मदद कार्यक्रम की जिम्मेदारी शासन के हाथों से निकाल कर न्यायालय के हाथों में सौंप दी गई है। क्रमचारियों की तादात भी बढ़ा दी गई है और उम्मीद है कि इस बदलाव से सेवा सुविंधाएं बेहतर होगीं।

वेश्यावृत्ति से जुड़े मुम्बई हाईकोर्ट के दो याचिकाओं के मामले में भी हमने कार्यशील भूमिका अदा की है। पहला पेटिशन १९९६ में स्वंय प्रधान न्यायाधीश ने दायर किया। दुसरे पेटिशन को १९९९ में प्रेरणा नामक संस्था ने देवनार स्थित विशेष बाल गृह के संदर्भ में दायर किया था। प्रयास का उद्देश्य यह है कि सामाजिक सच्चाईयों के बारे में सोच विचार कर उनके लिए ठोस उपचार ढूंढ निकालें। इन दस वर्षों में सरकार एंव स्वयं सेवी संस्थाओं को हमारी ये बात समझ मे आ गई है।

१९९२ में हमने पुलिस महा संचालक श्री. एस. रामामूर्ति को एक सुझाव पेश किया जिसमें हमने न्याय प्रणाली में सामाजिक कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की बात की। श्री. रामामूर्ति ने इस संदर्भ में एक समिति का गठन किया। समिति की अध्यक्षता वरिष्ठ पुलिस अधिकारी श्री. तु. का. चौधरी ने की। इस समिति के अन्य सदस्यों में तीन पुलिस अफसर एंव टाटा

सामाजिक विज्ञान संस्थान के तीन प्राध्यापक शामिल थे।

इस समिति ने विभिन्न विभागों की भी राय ली - जैसे कि पुलिस, जेल, विधि एंव न्याय, परिवेक्षा, आदि। समिति ने छह महीने पश्चात अपनी रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में उन्होंने न्याय प्रणाली में सामाजिक कार्यकर्ताओं को शामिल करने का प्रस्ताव रखा। पुलिस महा संचालक ने इस प्रस्ताव को गृह विभाग को सौंप दिया। मामला फिलहाल यहीं पर थम गया है।

१९९६ में केन्द्रीय शासन के युवा एंव खेल विभाग, मानव संसाधन मंत्रालय ने प्रयास को एक कार्यशाला आयोजित करने का आमंत्रण दिया। यह कार्यशाला ''युवा एंव गुनाहगारी'' विषय पर थी। पूरे देश से बारह संस्थाओं को ऐसे कार्यशाला का आयोजन करने का आमंत्रण दिया गया था जिनमें से प्रयास एक था। इन कार्यशालाओं के आयोजन का उद्देश्य था एक राष्ट्रीय युवा नीति बनाना।

हमने यह कार्यशाला मुम्बई मराठी ग्रन्थ संग्रहालय में आयोजित किया था । इस कार्यशाला मे देश भर से लोगों ने भाग लिया जिसमें समाज शास्त्रज्ञ, अध्यापक, छात्र, युवा दल, बहिष्कृत दल, स्वयं सेवी संस्था, वकील, पुलिस, जेल, परिवेक्षा, महिला बाल कल्याण, समाज कल्याण और विधी एंव न्याय विभाग के सदस्य शामिल हुए। कार्यशाला मे लोगों ने पूरे उत्साह से भाग लिया और चर्चा से ठोस सुझाव उभरे। रिपोर्ट में सामाजिक सच्चाईयों का उल्लेख था एंव दूर दृष्टि का भी समावेश था। यह दुख की बात है कि जिस सरकार ने इस प्रकल्प को शुरू किया था वो बहुत दिन तक नहीं टिकी, और अगली सरकार ने इस प्रकल्प को महत्त्व नहीं दिया।

कुछ रूके हुए मुद्दे

इन सबी मे हमने कई क्लाएंट एंव व्यवस्था से जुड़े मुद्दो पर काम किया है। जैसे कि पिछली बात से प्रतीत होती है कि हम कार्यक्षेत्र के स्तर पर और नीति के स्तर पर लगातार कार्यरत हैं। पर इन दोनों के उपर एक समान ध्यान देना मुश्किल हो जाता है। अक्सर ध्यान नीति के उपर कम हो जाता है।

नीति के स्तर पर काम प्रलेखन, पत्र व्यवहार, मीटिंग का आयोजन, गुट बनाना और मीडिया के प्रयोग द्वारा संपन्न होता है। पर इन सब में बहुत समय और लगन की ज़रूरत है। हमारे कार्यकर्ता कार्य क्षेत्र और अपने केस में इतने डूबे रहते हैं कि उन्हें इन सब के लिए समय नहीं मिलता। जब भी कोई समस्या उठ खड़ी होती है (जिसमें नीति का प्रश्न जुड़ा हुआ है), तब हमारे कार्यकर्ता संबंधित अधिकारियों से संपर्क करके उसे सुलझा लेते हैं। लेकिन इससे नीति नहीं बदलती।

अब हम ये महसूस कर रहे हैं कि इस रणनीति से हमें कोई फायदा नहीं है। जब तक नीति नहीं बदलेंगे, हमारे क्लाएंट हमेशा हम पर निर्भर रहेंगे। हमें व्यवस्था में बदलाव लाना पड़ेगा। पिछले महीने हमने ऐसे मुद्दों की एक सूची बनाई है।

१. **जेल**

- क्षमता से ज्यादा कैदियों की संख्या

- कैदियो को कोर्ट और अस्पताल समय पर ले जना
- जेल अस्पताल में महिला वॉर्ड
- मनोवैज्ञानिक चिकित्सा
- प्रशिक्षण एंव मनोरंजन
- परिवेक्षा व्यवस्था लागू करना
- कानूनी मदद
- विदेशी कैदियों को छूटने पर उनके देश भेजना
- दूसरे शहरों से आए कैदी के लिए ज़मानत का प्रश्न
- छूटे कैदियों के रहने के लिए छत
- नशीले पदार्थ को बेचने वाली या वेश्यावृत्ति से जुड़ी अपराधी महिला के प्रति न्याय प्रणाली का रूख
- महिला एंव युवक गुनाहगार के प्रति रूख
- मुक्त कैदियों के लिए पुनर्वसन नीति
- छोटे केसों का रूप एवं अवधि सज़ा

२. **कैदियों के बच्चें**

- महिला विभाग में बालवाड़ी
- माँ और संस्था में रहने वाले उसके बच्चों की नियमित मुलाकात
- माँ की गिरफ्तारी के वक्त बच्चों के प्रति पुलिस की जिम्मेदारी
- कैदियों के बच्चों के प्रति बाल अधिनियम अधिकारियों की जिम्मेदारी
- बच्चों के लिए पुनर्वसन नीति

३. पुलिस थाना

- पीड़ित महिलाओं के लिए आश्रय
- भिक्षेकारी गृह में सीधा दाखिला
- मानसिक रोगियों का अस्पताल में दाखिला
- अपराध को किसी भी स्थानीय पुलिस थाने में दर्ज करवा पाना
- नशेखोरों के प्रति रवैया
- निराश्रित बच्चों के प्रति रवैया

- पुलिस का बीयर बार में काम करनेवाली लड़कियों, और वेश्याओं के प्रति रवैया

४. कोर्ट

- जरूरतमंद और गरीब लोगों के लिए न्यायिक मदद
- परिवेक्षा व्यवस्था का पतन
- व्यक्तिगत बॉन्ड के प्रति न्यायाधीशों का रवैया
- लोक अदालतों का कामकाज
- केसों को जल्द से जल्द सुलझाना
- डोमिसाइल पत्रक जारी करने की प्रणाली

५. संरक्षण एंव विशेष बाल गृह

- किसी लड़की को घर भेजने का तरीका
- परिवेक्षा अधिकारी की भूमिका
- दूसरे राज्यों में स्वयं सेवी संस्थाओं और सरकारों के साथ संपर्क स्थापित करना
- प्रशिक्षण एंव मनोरंजन
- वेश्यावृत्ति से छुड़ाई महिला को न्यायालय मे पेश करना
- इन महिलाओं का वेश्यालय से सामान या रिश्तेदार छुड़ाना
- इन महिलाओं को सही समय पर सही सलाह देना
- किसी भी महिला को घर भेजने से पहले तैयारी
- संस्था में रहने की न्यूनतम और अधिकतम अवधि
- एच.आई.वी. से पीड़ित महिलाओं के प्रति रूख
- शादी रचाने की नीति
- कर्मचारियों का प्रशिक्षण
- पुनर्वसन के लिए आर्थिक कोष
- प्रशिक्षण पत्रक जारी करना
- स्वास्थ के बारे में जानकारी
- बाहरी दुनिया से संपर्क
- नियम एंव कानून में पारदर्शिता

६. पुनर्वसन

- आश्रय
- प्रशिक्षण एंव स्वरोजगार
- स्वरोजगार के लिए कर्ज़
- पुलिस का रवैया
- सलाह केन्द्रों की स्थापना
- आपातकालीन मदद की जरूरत
- घर तक के सफर का भत्ता

अंत में . . .

हमने यह तय किया है कि साल मे कम से कम दो मुद्दों को उठाएँगे और उसका एक ''ठोस सुझाव निकलने तक कार्यरत रहेंगे। सबसे पहले हमने कैदियों के बच्चों का मुद्दे उठाने का फैसला किया है। अगले कुछ महीनों में इस मुद्दे पर हमारी एक रिपोर्ट निकलने वाली है। रिपोर्ट निकालने के उपलक्ष में हम एक कार्यशाला का आयोजन करेंगे। इस कार्यशाला में हम सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं, समाज शास्त्रज्ञ एंव इच्छुक व्यक्तियों को आमंत्रित करेंगे। इस कार्यशाला के दौरान इस मुद्दे के प्रति एक ''ठोस नीति बनाना ही हमारा उद्देश्य है।

जो व्यक्ति गुनाह का रास्ता छोड़ना चाहते हैं, उनके प्रति पुलिस का रवैया बदलने की भी हमारी कोशिश रहेगी। हमें उनका सहयोग सिर्फ तब तक मिलता है जब तक कि हम इस प्रक्रिया में शामिल हैं। हमे लगता है कि अकस्मात एवं छोटे गुनहगारों को सुधारने में पुलिस एक सशक्त भूमिका निभा सकती है। इस विषय पर फिलहाल हम एक प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं, यह चर्चा का विषय बन सकता है। कि पीड़ित महिलाओं के लिए आश्रय, मुक्त कैदी एंव मानसिक रोग से पीड़ित, निराश्रित महिलाओं के सवाल हमारे सूची में काफ़ी उपर है। इसके लिए हमें इच्छुक संस्थाओं और आम जनता को एक मंच पर लाना होगा। वाती के द्वारा हमे इन समस्याओं का समाधान ढूँढना पड़ेगा। सरकार और समाज के उपर हमें सकारात्मक दबाव डालना पड़ेगा। अपने दसवें साल में प्रयास इन उद्देश्यों के प्रति कार्यरत रहने के लिए वचन बध्द है।

इस अवसर पर हम अपने सभी क्लाएंट, उनके घरवाले, प्रयास के पुराने कार्यकर्ता, स्वयंसेवी संस्था, न्याय प्रणाली के अधिकारी गण, सरकारी विभागों के अधिकारी, हमारे खास मददगार, प्रशिक्षक और उन तमाम हितैषियों का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।

विजय राघवन

प्रकल्प निर्देशक

नीचे दिए गए आंकड़ों में कुछ स्थान रिक्त हैं। इसका मतलब यह नहीं कि उस दौरान कार्य नही हुआ है बल्कि प्राप्त सूत्रोंसे हमें उस वक्त की पूरी जानकारी नहीं मिली है।

दशक के आंकडे

जेल

	९०-९१	९१-९२	९२-९३	९३-९४	९४-९५	९५-९६	९६-९७	९७-९९	९९-२०००
कुल केसेस	३०	-	-	३३८	५३७	६००	५३०	३८७	२६०
पारिवारिक संपर्क	२२०	१७४	३१५	२१७	४१४	३६९	६१६	८६६	१८५
न्यायिक संपर्क	१९५	७६	३००	-	-	-	२८	४९	४४
पुलिस संपर्क	४५	२३	६०	६८	१४	५३	८	३०	१६
दूरध्वनी	-	-	१००	-	-	-	१९२	४५०	१६३
कला एंव शिक्षण कक्षा में हाजिरी	-	-	-	३३	३२६	-	-	-	७९
अस्पताल संपर्क	-		-	-	-	-	१६	६	२१

पारिवारिक सहायता दल

	९३-९४	९४-९५	९५-९६	९६-९७	९७-९९	९९-२०००
कुल केसेस	५३	२३	५८	३५	३५	३९
पारिवारिक संपर्क	१७४	२०	९५	८१	८०	३१
अन्य सुत्रों से प्राप्त केस	९	१६	७	४०	१	२
बालवाड़ी में बच्चे	८	४५	४५	३०	२३	५
संस्था से संपर्क	-	-	१८	३७	१४	१०
बाल अधिनियम बोर्ड से संपर्क	-	-	५६	७	७	८
आपात कालीन मदद	-	-	-	४	८	२
संस्था मे दाखिल बच्चे	-	-	-	५	३	
शिक्षण खर्च	-	-	-	२	१	१

कानूनी मदद

	९०-९१	९१-९२	९२-९३	९३-९४	९४-९५	९५-९६	९६-९७	९७-९९	९९-२०००
न्यायिक संपर्क	-	-	-	४२१	४२२	२७०	१३३	१८१	७०
कानूनी मदद	१४	५३	९०	७०	३०	२७	२५	५६	१७
जेल संपर्क	-	-	-	-	-	-	३१	७३	३५
अर्ज़ी	१३३	-	-	-	-	१२६१	६६२	६३५	१४०

चेंबूर पोलिस स्टेशन

	१९९३-९४	१९९४-९५	१९९५-९६	१९९६-९७	१९९७-९९	१९९९-२०००
पुनर्वसित केस	५३	३४	८२	७६	२२८	१६६
पारिवारिक संपर्क	१३०	७७	१६८	५२	३९५	३०६
न्यायिक संपर्क	४	-	१३	५	-	-
संस्था संपर्क	-	-	६१	५७	९७	३५
अन्य पुलिस थाना से संपर्क	-	-	३३	१६	-	१२

माहिम पोलिस स्टेशन

कुल केसेस	४२
फोन कॉल्स	१६०
एजेन्सी संपर्क	३१
संस्था संपर्क	१२
पोलिस स्टेशन संपर्क	५
गृह संपर्क	६८
रेल्वे पुलिस संपर्क	२

रेलवे पुलिस (एप्रिल ९९-२०००)

कुल केसेस	१४
पुलिस स्टेशन संपर्क	१८
गृह संपर्क	६
हस्पताल संपर्क	९
संस्था से अन्य संपर्क	३०

नागपाड़ा पुलिस स्टेशन (१९९७-२०००)

वेश्यावृत्ति से निकाली गई महिला एवं लड़कियों को सलाह और जानकारी

महाराष्ट्र	४९
आंध्र प्रदेश	९७
मध्य प्रदेश	३७
पश्चिम बंगाल	१७६
नेपाल	२०९
कर्नाटक	५१

कोर्ट युनिट

	१९९४-९६	१९९६-९७	१९९७-९९	१९९९-२०००
कुल केसेस	७६	६६	२०	१५
लघु अवधि सेवा	२०४	८८	२८८	२१०
कानूनी मदद	१८	-	४	५
अन्य एजेन्सी से प्राप्त केस	६८	-	३	-
घर भेजे गये क्लाएंट	१	-	१	-
पुलिस स्टेशन संपर्क	-	६	२	-
गृह संपर्क	-	३५	१०	५
एन.जी.ओ. से संपर्क	-	४	६	२
कार्यस्थल संपर्क	-	८	२	-

संरक्षण गृह (१९९६ - २०००)

केस वर्क

	१९९६-९७	१९९७-९९	१९९९-२०००	कुल
सलाह	८६	१२०	८१	२८७
गृह संपर्क	१०	-	-	१०
बाहरी संस्थाओं को भेजे गए केस	२	९	३	१४
संसाधन जुटाने के लिए संपर्क	-	१६	३०	४६
अस्पताल सम्पर्क	-	४०	१३	५३

सिलाई आदि कक्षा (१९९७ - २०००)

	१९९७-९९	१९९९-२०००	कुल
हाजिरी	१३७	१२९	२६६
पूर्ण प्रशिक्षण	१०७	८९	१९६
बाँटे गए प्रशिक्षण किट	१८	५४	७२

विशेष बाल गृह सिलाई आदि कक्ष (१९९७ - २०००)

	१९९७-९९	१९९९-२०००	कुल
ऑक्टिविटी क्लास में हाज़री	१६३	१८९	३५२
ट्रेनिंग पूरी करने वाली लड़कियां	८५	९७	१८२
ट्रेनिंग किट, प्राप्त की हुई लड़कियां	२५	८७	११२

प्रशिक्षण दल

	१९९३-९६	१९९६-९७	१९९७-९९	१९९९-२०००
प्रशिक्षित छात्र	८१	२५	८१	११८
सेल का आयोजन	२९	१०	-	५
ऑर्डर प्राप्ति	२८	५	-	४
बाहरी प्रशिक्षण	-	-	४	६

पुनर्वसन

	९१-९२	९२-९३	९३-९४	९४-९५	९५-९६	९६-९७	९७-९९	९९-2000
कुल केसेस	२१	३८	३३	२२	२७	६६	७४	६८
नौकरी में मदद	-	१५	१३	५	१४	-	-	९
प्रशिक्षण खर्च	-	२	-	-	१६	११	-	८
पहचान पत्र	-	८	१६	६	६	१	३	४
आपात कालीन	-	१८	३६	२८	३५	-	-	३२
आश्रय	-	८	७	४	१०	१७	-	१५
गृह संपर्क	-	-	१२५	१३४	१८४	९९	१५१	१०४
संसाधन जुटाने के लिए संपर्क	-	-	८५	९१	७९	१०८	६५	२८
पोलिस स्टेशन संपर्क	-	-	६	२१	७७	४५	५५	१२
कोर्ट संपर्क	-	-	-	-	-	२३	४५	२२

प्रयास के कार्यकर्ता

जेल विभाग :-

श्रीमती प्रज्ञा शिंदे	श्रीमती वर्षा लाड	श्री. मुरलीधर जगताप
श्रीमती सुरेखा साले	श्री. सुधाकर बाबू	श्री. रविंद्र वैद्य

पोलीस स्टेशन विभाग:

श्रीमती चंदा जाधव	श्री. सुभास तुपे	श्रीमती संगिता गवळी
श्री. सिलविन काले	श्री. सुर्यकांत माने	श्रीमती शोभा शेलार
श्रीमती कृपा शहा	श्रीमती पेनेलॉप डिसिल्वा	श्री. विठ्ठलभाई सोलंकी

कोर्ट विभाग :

श्री. राजेश इंगळे — श्री जनार्दन पालशेतकर

महिला संरक्षण गृह : — **विषेश बालगृह :**

श्रीमती बबिता सालवी — श्रीमती प्रमिला जाधव — श्रीमती वांसती जाधव

पुनर्वसन :

श्री सुनिल म्हस्के — श्री शंकर पोखरकर — श्रीमती सलमा नाईक

शोध एंव प्रलेखन :

श्रीमती टी.एस देवयानी — श्रीमती शेरॉन मँनेझेस

प्रशासकीय विभाग :

श्री. विजय मोरे — श्रीमती यल्लूबाई नायक

प्रकल्प संचालक :

श्री विजय राघवन

प्रकल्प सल्लागार :

डॉ. (श्रीमती) सनोबर शेखर

भुतपुर्व कार्यकर्ता :

श्रीमती लक्ष्मी सिंह

श्रीमती अश्विनी लोटकर

श्री प्रताप राजपुत

श्री ईम्तहाज नाईक

श्री. रवि एस के.

श्रीमती शिबा चौधरी

श्रीमती दिपा चंद्रशेखर

श्रीमती रोशनी बापर

श्रीमती नमिता राज

श्री विकास कदम

श्रीमती ज्योती सी.

श्री अरूनेद्र पांडे

श्रीमती झरिन चिनवाला

श्री रमेश अय्यर

श्रीमती रजनी अय्यर

श्री सुशिलकमार

श्रीमती क्रिर्ती चावला

श्री लक्ष्मण पोखरकर

श्री कांबळे

श्रीमती सुनिता शिंदे

श्री दिलीपमाई

श्रीमती चंद्रानी मजुमदार

श्री रमेश सारवरपेकर

श्री शिवेद्रनाथ गणेश

श्रीमती लता के एम

श्री नंदन रॉय

श्रामती रश्मी निगम

श्रीमती कालिदीं शिरसाट

श्रीमती श्रध्दा शिंदे

श्रीमती झुबेदा

श्रीमती प्रेमाबाई

श्रीमती हिराबाई

स्वंयसेवी

श्री श्रीकांत पद्नामन

श्री मनिष श्रीवास्तव

श्री डि.पी.सिंह

श्रीमती गंगा मुरवी

श्री गुरमित सिंह

श्रीमती सुजाता डेविड

श्री राजन भगत

शोध सहाय्यक

श्रीमती अझगा डिसोझा

श्री निरिवल निगम

श्री जमशेद अहम्मद

श्री. वसंत पटनाईक

श्री. सुचारिता

स्वीकृति (ACKNOWLEDGEMENTS)

१) सरकारी विभाग

हमारे अभिमान के दौरान हमें सरकार के केन्द्रीय ओर राजकीय दोनों ही स्तरों पर विभिन्न विभागो ओर संस्थाओ का सहयोग प्राप्त हुआ है । उच्चतम स्तर से लेकर क्षेत्रीयस्तर तक के अनगिनत अफसरों ने हमें प्रोत्साहित किया है, साथ ही हमारी मदद की है तथा हमारे काम के संपन्न होने में हमारा साथ दिया है ।

उनके इस लगातार सहयोग के बिना हमारा यह काम न तो शुरू हो पाता, न ही हम उसे जारी रख पाते ।

हमारे लिए उन सभी मददगारों की गिनती करवाना शायद संभव हो लेकिन इसका अर्थ यह कदापि नही लगाया जा सकता कि हम उनके इस योगदान का मूल्याकन कुछ कमतर करते हो ।

केन्द्रीय सरकार

खेल और युवा कल्याण विभाग (मानव संसाधन विकास मंत्रालय)
महिला और बाल-विकास विभाग (मानव संसाधन विकास मंत्रालय)
सामाजिक न्याय एवं - मंत्रालय
संस्कृति विभाग (मानव संसाधन विकास मंत्रालय)

राष्ट्रीय संस्थाएँ :

राष्ट्रीय मानवीय अधिकार आयोग
राष्ट्रीय महिला आयोग
केन्द्रीय समाज कल्याण संस्थान
भारतीय शिशु कल्याण परिषद
राष्ट्रीय गुनाह शास्त्र संस्था

महाराष्ट्र :

कारागृह महानिरीक्षक एवं अधिकारी गण
कारागृह विभाग
अधीक्षक एवं अधिकारी मुम्बई मध्यवर्ती कारागृह, थाना मध्यवर्ती कारागृह एक कल्याण जिला कारागृह
पुलिस महा निदेशक एवं अधिकारी गण महाराष्ट्र पुलिस
कमाडंट एवं अधिकारी रेल्वे सुरक्षा दल महानिरीक्षक रेल्वे पुलिस एवं अधिकारी रेलवे पुलिस वरिष्ठ पुलिस निरिक्षक एवं अधिकारी सी.एस. टी. रेलवे पुलिस स्टेशन
पुलिस आयुक्त एवं अधिकारी मुम्बई पुलिस वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक एवं अधिकारी देवनार, शिवाजीनगर, चेम्बूर, नागपाडा एवं माहिम पुलिस थाना
विधि एवं न्याय विभाग -
महाराष्ट्र कानूनी सेवा
मुम्बई एवं उपनगरीय कानूनी सेवा

महिला एवं बाल-कल्याण विभाग
जिला परिवेक्षा अधिकारी मुम्बई एवं ठाणे अधक्षिक एवं अधिकारी नवजीवन महिला वसति गृह स्वं विशेष बालगृह अध्यक्षा एवं सदस्य - बाल - कल्याण बोर्ड

गुजरात -
जिला पुलिस अधीक्षक - भरूच
कारागृह महानिरीक्षक, अधीक्षक एवं अधिकारी एवं - भरूच उपजेल
अधीक्षक अधिकारी महिला स्वीकृति केन्द्र
समाज सुरक्षा विभाग

दिल्ली
कारागृह महानिरीक्षक, अधीक्षक एवं अधिकारी तिहार
मुख्य परिवेक्षा अधिकारी
निदेशक एवं अधिकरी समाज - दिल्ली पुलिस

हिमाचल प्रदेश
अध्यक्ष एवं सचिव - राज्य समाज कल्याण बोर्ड
अतिरिक्त महानिदेशक CID
विशेष सचिव - वित्त विभाग
सचिव एवं आयुक्त - समाज - कल्याण
उपायुक्त - कुलु
एस. डी. एम - बैजनाथे

उत्तर प्रदेश
सचिव महिला एवं बाल-कल्याण
पुलिस महानिदेशक
कारागृह महानिरीक्षक

मध्य - प्रदेश
सचिव - महिला एवं बाल-कल्याण पुलिस महानिदेशक
उप महानिरीक्षक - कारागृह

कर्नाटक-

निदेशक - महिला एवं बाल-कल्याण कार्यवाही निदेशक महिला

विकास निगम-

पुलिस महानिदेशक

प्रकल्प अधिकारी देवदायी पुनवर्सन प्रकल्प बेलगॉव एवं बीजापुर

उडीसा

उपसचिव समाज-कल्याण

कारागृह विभाग-

२) प्रशासनिक सहयोग

टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था के निदेशक, रजिस्ट्रार, अध्यापक, छात्र एवं अधिकारी से हमें जो सहयोग मिलता रहता है वो शब्दो में बयान नहीं जा सकता है । डॉ. कुमारी देसाई के दिनों से ही टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था द्वारा प्राप्त शुभेच्छा और सहयोग ने हमें एक मजबूत स्थान पर आरूढ रहने का मोका दिया है । उनकी इस कृपा के बदले हम अपना आभार प्रकट करना चाहेंगे ।

निदेशक

उपनिदेशक

रेजिस्ट्रार

सहायक रेजिस्ट्रार - लेखा पर्सनेल एवं पाढ्य - विषय विभाग

लेखा, पर्सनेल, रखरखाव, क्रय, ई. डी. पी. पुस्तकालय आदि के कर्मचारी

टेलिफोन ऑपरेटर, एवं सुरक्षा कर्मचारी

अध्यापक एवं छात्र

३. वित्तीय सहायता

इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज हम जिस मुकाम पर पहुँचे है वह विभिन्न संस्थाओं ट्रस्ट, उद्योगपतियो और व्यक्तियों के वित्तीय योगदान और मदद के बिना कटई संभव नही हो पाता।

महालक्ष्मी मंदिर चेरिटीस
पेंगविन चेरिटीस
टाटा एक्सपोर्टस
वेलफेयर एजेन्सीस कोष, टिस
बी. आर. एस. कोष टिस
दोराबजी टाटा ट्रस्ट
आर. डी. टाटा ट्रस्ट
टाटा समाज कल्याण ट्रस्ट
कर्सन इंडिया फाउन्डेशन
क्राय
एच. डी. एफ. सी
शुभलक्ष्मी होटेल
लासन्स क्लब बॉम्बे चेरिटी ट्रस्ट
आई जी एस एस एस
सेन्ट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड
स्नेहसदन
शिल फाउन्डेशन
इंडस इन्टरनेशनल
सीबा-गाइगी
हिरद्वानी ट्रस्ट
जे. जे. नरसिंग असोसिएट
शाह चुनीलाल मोतीचंद ट्रस्ट
गुडलस नेरोलॅक ट्रस्ट
सेढ पेस्टोमजी दावर ट्रस्ट
महिन्द्रा एवं महिन्द्रा
संत माइकल्स चर्च
दमानिया एअरवेस
ट्रान्सकेम लिमिटेड
बायरामजी फाउन्डेशन
नेकसन्स एक्सपोर्टस
ओम् एक्सपोर्टस, जयराम सिक्यूरिटीस
एलिजाबेथ नस, सोफ्टेंग जे. पी. इन्डसूट्रीज
गोपाल ऑटो रिपेयर वर्क्स
एसकेडी लीसिंग
गुड लक ऑटो केयर
इनर व्हील पब्लिक सर्विस कमिटी
जे. आर. मेहता ट्रस्ट
विश्वकर्मा कन्सट्रक्शनस
पॉलिनेसिया इन्टरनेशनल
रमणिकलाल मेहता ट्रस्ट
पेरागोन चेरिटेबल ट्रस्ट
वोको लेबोरेटरीस
थम्पी एक कंपनी
श्री. फी . डी कुन्ते
श्री. वी. वी. चितले
श्री. महेश मुजुमदार
श्री.श्री निवास राव
श्री. प्रकाश
श्री. परीक्षित साहनी
श्री. वेनीन्सियो उर्नाडेस
श्री. सुरेन्द्र हीरानंदानी
श्री. पशुपति अड्वानी
श्री. होमी सेटना
कु. सौम्या चट्टोपाध्याय
कु. जी. लोबो
श्री. नटराजन स्वामी
श्री. मोहित जैन
कु. मीना लोमुला
ब्रिटिश हाई कमीशन
राष्ट्रीय महिला आयोग
युवा कल्याण विभाग-मानव संसाधन विकास मंत्रालय
राजीव गाँधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्था

४. सलाहकार

यहाँ इस बात का जिक्र करना आवश्यक हो जाता है कि कुछ ऐसे भी महानुभाव है जिन्होने कदम कदम पर हमें सहारा दिया है और बहुमूल्य सलाह और मार्गदर्शन हमें दिया, है जब भी हमने अपने आप को संकट से घिरा पाया है। ये लोग अपने अपने क्षेत्र में उच्चतम हस्ती रहे है और उनके द्वारा अपना बहुमुल्य समर निकाल कर हमें समय समय पर संकट से उबारने के लिए हम इनके प्रति कृतज्ञ है।

न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर धर्माधिकारी
डॉ. कु. आरमाइटी देसाई

५. मददगार

कुछ ऐसे व्यक्ति है जो कार्यक्षत्र में हमारे साथी बन चुके है। हमसे कुछ अपेक्षा किये बिना उन्होने हमारी मदद की है, हम उनका योगदान कभी नही भूल सकते है,

स्व. श्री. मधु राव
सरस्वती स्वामीनाथन
श्री. डी. आर. पेंडसे
श्री.के.डी. शिख
श्री. बी. जे. मिसाळ
डॉ. एस.डी.गोखले
श्री. मधू राव
श्रीमती.सरस्वती स्वामीनाथन
श्री. डी.आर. पेंडसे
श्री. के. डी. सिक्का
श्री. बी. जे मिसाळ
डॉ. एस डी गोखले
श्री.व्ही. बी. खांडेकर
डॉ. दिपक व्यास
पी. कन्नेगी
श्री. प्रनेबेश्वर बरुआह
श्री. मनोज पांडे
श्री. फंगसू
श्रीमती. स्मिता नागराज
डॉ. रिशी
श्री. आर. एन. उपाध्याय
श्री. फ्रँक आणि् श्रीमती लूसी बेकर
श्रीमती सूधा
श्री. जेरी
श्री. रिचर्ड
श्रीमती. कल्पना क्रिश्नमुर्ती
श्री. नेल्सन
श्रीमती. बिंदू अब्राहन
श्रीमती. आर्लेन रिगो
श्रीमती. मालती झवेरी
डॉ. वर्दे
श्रीमती. अंजली गोकर्ण
श्री. डेविड
श्रीमती. कार्मिन फरनान्डिस
सालवेडोर
श्री. मिलींद बब्बर
श्री. नामदेव गाडगेवाला
श्री. अनिल गाडगेवाला
श्री. विजय आणि प्रकाश
श्री. सुरेंद्र गायकवाड
श्रीमती. क्लेमा पिंटो
श्री. आदित्य
प्रो. (श्रीमती) छाब्रा
श्री. राजीव दुवा
प्रो. (श्रीमती) राव
श्री. सतीश शेट्टी

श्री. आमीर अली
श्री. सुधीर दळवी
श्री. पी. चंद्रशेखर
श्रीमती. बेरनादेत्ते पिमेंटा
श्रीमती. विनीता चितळे
श्री.सतीश सहानी
श्रीमती. अंजली दवे
प्रो. शिंदे
डॉ. माचिसवाला
श्री. जयदेव हटंगडी
श्री. मुकुंद गुरव
श्री. महादेव माळी
श्री. नितीन किरीर
श्री. एम. एस. कालशेट्टी
श्रीमती. उज्वला भागवत
श्री. के. के. गुप्ता
श्री. हर्श मंदार
डॉ. आनन्द नाडकर्णी

सिस्टर ब्रिदा
ब्रदर सेबास्टन
श्री. पी. एम. ए. हकिम
श्रीमती. शबनम मिनवाला
श्रीमती मारीया अब्राहम
श्री.राजीव सेट्ठी
श्रीमती. अरुणा सेट्ठी
श्री. सतीश नंदगावकर
श्रीमती. मिना मेनन
श्रीमती. गिता महाजन
डॉ. हरिश शेट्टी
श्रीमती. संगीता पुणेकर
श्री. विनीत श्रीवास्तव
प्रो. बी. बी. पान्डे
प्रो. (श्रीमती) पी. आर. राव
श्री. वेंकटेश्वरन
श्री. जेथु मंडल
डॉ. शिल्पा मार्वाह

६) वकिल

पिछले कुछ सालों से प्रयास ने महानगरीय, सेशन और मुंबई के उच्च न्यायालयों के कई वकीलों को अपने काम में शामिल किया है। ये वकिल हमारे क्लायंट के केस पर काम करते है और फिस के बदले में मानधन लेकर। इसके अलावा, हमें जरूरत होने पर वे केस और दूसरे काम से संबंधित कानूनी सलाह भी देते है। हम इसके लिये उनका आभार मानते है।

श्री. इक्बाल युसूफ
श्रीमती. संगीता डीसोझा
श्रीमती. मोनिका सारवारनी
श्रीमती. मारूख आडेनवाला
श्री. आशुतोश धर्माधिकारी
श्री. के.के. ठाकूर
श्री. इक्बाल वोरा
श्री. एन. शेट्टी
श्री. ए. वाघ.
श्री. पी. एस. सिंग
श्री. ए. के. श्रीवास्तव
श्री. ए. के. सुत्राले
श्री. पी. एन. शेट्टी
श्री. गंगाधर शिंदे
श्री. आर. सत्यनारायण
श्री. एन. के जगताप
श्री. प्रसाद अय्यर

श्री. कोलिन गोंसाल्विस
श्री. एस. आर. श्रीवास्तव
श्रीमती. सुनन्दा बर्वे
श्री. के. एन. वासवानी
श्री. एस. बब्बर
श्री. एस. के. शर्मा
श्री. चेतन बने
श्रीमती. अनिल केवलरामानी
श्रीमती. रोहिणी वाघ
श्री. रमाकांत यादव
श्री. एच. आर. हंचोटे
श्री. सी. एन.रत्नानी
श्री. आफताब कुरेशी
श्री. अशोक सहानी
श्री. जोशी
श्रीमती. चित्रा बगारका
श्री. एन. एन. गवणकर

७. कार्य क्षेत्र की संस्थाएँ

हमारे कार्य क्षेत्र मे अनेक संस्थाओं की मदद के बिना हमारा काम बहुत मुश्किल होता - इन संस्थाओ से हमे और हमारे क्लायंट सहायता मिली है हम इनके साथ परस्पर विश्वास और सहायता का रिश्ता बना पाए है इनको हमारा धन्यवाद.

रेसीडेन्स बी. डी. डी. चाळ. न. ९
युवा घर हो तो एसा
वत्सालय
आमची खोली
बाल आशा ट्रस्ट
स्नेहासदन -आश्रय
स्नेहासदन -अस्मिता
सुखशांती
रिसेप्शन सेन्टर
आफ्टरकेअर हॉस्टेल फॉर बॉईज
स्पार्क
चेतना व्हेन्चर्स
रोटरी क्लब ऑफ बॉम्बे
ईनर व्हिल क्लब ऑफ बॉम्बे वेस्ट
बृहन मुंबई मुन्सिपल कॉरपोरेशन
बाल सखा
वासवय्या महिला मंडळ
श्रमिक विध्यापिठ
मविम
एस. एन. डी.टी युनिवर्सिटी
शेड
मैती नेपाल
स्वयम सिध्दा
हिमालया सेवा संध
वन्चित विकास
समय भारती ट्रस्ट
मानव सेवा संध

आइ.प.एच.
अश्दीपम
स्पेशल सेल फॉर वुमेन अँन्ड चिल्ड्रेन
फॅमिली वेर्फेअर एजन्सी
चाईल्ड गाईडन्स क्लिनिक (वाडीया हॉस्पीटल)
जे जे धर्मशाळा
सी. पी. अ. अ
लव्हेडल
स्नेहा जीवन केन्द्र
विमला विकास केन्द्र
सि्श्र मुक्ती ससंघटना
रहमानी फाऊन्डेशन
बापनू घर
तृप्ती नरसिंग होम
मजालिस
समर्थन
दृश्टि
जे. जे. नरसिंग असोसिएशन
हँपनिंग्ज
नाईट फ्रँक आय प्रायव्हेट लि.
लॉयर्स कलेल्कटीव
अव्हेही
कारट
निर्मला निकेतन
सख्या
हमसफर ट्रस्ट
साथी

माझे माहेर

क्रास रोड प्रिजन मिनिस्ट्री

मुक्ती सदन फोन्डेशन

श्रध्दा रिहाब्लिटीशन सेन्टर

नवजिवन मंडळ

जे.जे.हॉस्पिटल

के.ई.एम.हॉस्पिटल

पोदार हॉस्पिटल्स

जी.टी.हॉस्पिटल

एल.टी.एम.जी.हॉस्पिटल

कुपर हॉस्पिटल

समरितनास

विनिमय ट्रस्ट

ओएसिस

संलव्हेशन आर्मी

आरिश

सहारा डे केअर सेन्टर

अभिनव टेक्निकल ईस्टिटुट

सेंट कॅथरिन्स होम

ए.डी.बावला होम फॉर चिल्ड्रेन

आशा दान

प्रेम दान

सेवा धाम

संम्पर्क

नार्क

नर्चर

शक्ति

नेहरू सेन्टर

स्टार कम्युनिकेशन्स

अनाम प्रेम

अलका एम्रॉयडरी

एम.एच.कॉम्पुटर्स

शोभा स्टोअर्स

आवाज ई निस्वान

चिल्ड्रेन्स एड सोसायटी

अपनालया

ए.ए.एच

वुमेन्स ईडीया ट्रस्ट

मंग्ना पब्लिकेशन्स प्रायव्हेट लि.

थाने मेन्टल हॉस्पिटल

हुमन राईट्स लॉ नेटवर्क

कॅलिडो ग्राफिक्स

महिला समस्या निवारण केन्द्र

वाय.डब्लु.सी.ए

श्रीमान विसावा संघ

प्रोजेक्ट मेनस्ट्रमिम

सी.सी.डी.टी

पी.एस.आय

प्रेरणा

बी.एम.सी. आशा प्रकल्प

रॅन्क ट्रॅव्हल्स

कामगार कल्याण केन्द्र

फॅक्लटी ऑफ लॉ युनिव्हरसिटी ऑफ डेल्ही

गव्हरमेन्ट लॉ कॉलेज मुंबई

महाराष्ट्र स्टेट प्रॉबेशन एन्ड आफ्टरकेअर असोशिअशन

गणपतराव कदम मार्ग मुन्सिपल स्कुल

मुंबई मराठी ग्रंथ संग्राहल